If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. 39021/01/2017-Estt.(B)]
RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.331.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग लेखा शाखा समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी और तकनीकी सहायक (लेखा) पदों के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—
   1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, लेखा शाखा समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।
   2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**.— ये नियम, इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श में इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. लेखा अधिकारी	06* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-9 (53,100 से 1,67,800/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i. 66.67% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा; और ii. 33.33% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47,600-1,51,100/- रु.) में ऐसे कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिन्होनें श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार नकद, खाता और बजट कार्य में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो। **टिप्पण:** जहां अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के नाम पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ अधिकारियों, जो पहले ही अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके हो, के साथ-साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ शासित क्षेत्र सरकारें या विश्वविधालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारी- क.(i) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—8

			(47,600-1,51,100/-रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और ख. निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों; अर्थात् :- (i) केंद्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों; या (ii) रोकड़, लेखा और बजट कार्य में पाँच वर्ष के अनुभव सहित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ और लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु अर्हक नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति विचार किए जाने हेतु अर्हक नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** उसी संगठन या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): **1.** अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी या वित्तीय सलाहकार), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष **2.** संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **3.** संयुक्त सचिव (भर्ती या नियुक्ति शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	किसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी।	08* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-8 (47,600 से 1,51,100/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	i. 75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा; और	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35,400-1,12,400/- रु.) में तकनीकी सहायक (लेखा), जिसने श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित किए गए अनुसार नकद, लेखा और बजट कार्य में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो।

		ii. 25% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा ।	**टिप्पण:** जहां अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के नाम पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ अधिकारियों, जो पहले ही अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ-साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र सरकारें या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारी- क.(i) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद या समतुल्य धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—7 (44,900-1,42,400/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और ख. निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात :- (i) केंद्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या (ii) रोकड़, लेखा और बजट कार्य में चार वर्ष के अनुभव सहित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ और लेखा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु अर्हक नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति विचार किए जाने हेतु अर्हक नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: उसी संगठन या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): **1.** अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी या वित्तीय सलाहकार), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष **2.** संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **3.** संयुक्त सचिव (भर्ती या नियुक्ति शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	किसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3. तकनीकी सहायक (लेखा)	12* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35,400 से 112400/- रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक थिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह जो असम, मेघालय,अरूणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर,नागालैंड, त्रिपुरा,सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चम्बा जिले का पांगी उप खंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीय के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक :** (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय में नकद, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण—1** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2** अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8	9	10	11
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती लिए दो दो वर्ष।	i. 75% सीधी भर्ती द्वारा; और ii. 25% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन** :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ शासित क्षेत्र या विश्वविधालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारी :- क- (i) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होनें मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—5 (29,200-92,300 रु.) श्रेणी के नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा, की हो; और ख- निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों :- (i) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ और लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और (ii) नकद, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:-** उसी संगठन या केंद्रीय सरकार के अन्य किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**:- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आमेलन:- **टिप्पण:** आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारी पात्र होंगे ।

12	13
समूह "ख" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए): **1.** अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी या वित्तीय सलाहकार), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष **2.** संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **3.** संयुक्त सचिव (भर्ती या नियुक्ति शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 39021/07/2018-स्था (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd October, 2019

G.S.R.331.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Union Public Service Commission Accounts Branch Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accounts Officer, Junior Accounts officer and Technical Assistant (Accounts) in the Union Public Service Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Accounts Branch Group 'B' posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union public service Commission, any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Accounts Officer	06* (2019) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-9 (Rs.53100-167800)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	(i) 66.67% by promotion failing which by deputation (including short- term	Promotion: Junior Accounts Officer in Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with two years' regular service in the

			contract);and (ii) 33.33% by deputation (including short-term contract).	grade and have successfully completed two to four weeks training in cash, accounts and budget work as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation(including short- term contract): Officers of Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) pass in Subordinate Accounts Services or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Department of the Central Government and two years' experience in cash, accounts and budget work; or (ii) having successfully completed training in cash and accounts course conducted by the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training with five years' experience in cash, accounts and budget work. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation (including short - term contract) including period of deputation (including short - term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

				organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short - term contract) shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Secretary (In charge of Administration Branch or Financial Advisor), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of Recruitment or Appointment Branch), Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an Officer on deputation (including short- term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Accounts Officer	08* (2019) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level-8.(Rs.47600-151100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	(i)75 percent by promotion failing which by deputation (including short- term contract); and (ii)25 percent by deputation (Including short -term contract).	**Promotion:** Technical Assistant (Accounts) in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training in cash, accounts and budget work as prescribed by the Department. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

				Deputation (including short-term contract): Officers of Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any one of the organised Accounts Departments of the Central Government; or (ii) having successfully completed training in cash and accounts course conducted by the Institute of Secretariat and Management or equivalent training with four years' experience in cash, accounts and budget work. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (Including short – term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

				organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short - term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Secretary (In charge of Administration Branch or Financial Advisor), Union Public Service Commission - Chairman ; 2. Joint Secretary (In charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member ; 3. Joint Secretary (In charge of Recruitment or Appointment Branch), Union Public Service Commission - Member .	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an Officer on deputation (including short-term contract)/ absorption.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Technical Assistant (Accounts)	12* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territoriy of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Bachelor' degree from recognised University or Institute; (ii) two years' experience in cash, account and budget work in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. **Note 1**: This Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing**,** in the case	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) 75 percent by direct recruitment; and (ii) 25 percent by deputation (Including short-term contract)/ absorption.	Deputation (including short- term contract) / absorption: Officers of Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisation,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level -5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or

of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) successfully completed training in cash and accounts course conducted by the Institute of Secretariat and Management or equivalent course; and (ii) possessing two years' experience in cash, accounts and budget work. **Note 1:** The period of deputation (including short - term Contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age - limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Absorption: **Note:** The officers of Central Government or State Governments or Union territories shall be eligible to be considered for appointment on absorption basis.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary (In charge of Administration Branch or Financial Advisor), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of Recruitment or Appointment Branch), Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 39021/07/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.07 19:00:13 +05'30'